फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :— /20

छोटा देवी **बनाम** सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वादीया अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार गौतम हाजिर। प्रतिवादी सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। वादिया की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 05.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
05.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस वकील वादीया की सुनी गई। वादीया ने यह वाद बाबत् नाम दुरस्ती का पेश किया है। वादीया विवादित भूमि खसरा नंबर. 202/2057 रकबा 0.06 है0 एवं खसरा नंबर 197/2056, 198, 200, 203 कुल किता 04 कुल रकबा 1.17 है0 वाके ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादीया का नाम छोटा देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण दर्ज होना बताया है जबकि उनके वादीया का वास्तविक नाम छोटा देवी पत्नि लच्छू दर्ज होना बताया है। प्रार्थीया/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वादी का नाम जरिये विक्रय पत्र के नामान्तकरण संख्या 376 दिनांक 05.07.2011 से दर्ज हुआ है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में छोटा देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज चली आ रही है। अतः वादीया के शपथ पत्र व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि छोटा देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण एवं छोटा देवी पत्नि लच्छू एक ही व्यक्ति है। अतः वादीया का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में छोटा देवी पत्नि लच्छू दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	